न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–66/2018
CIS NO-TS-101/2019

शेख साजिर एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

शेख हसनैन के विधिक वारिसान .....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
11.10.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की ओर दिये गये आवेदन दिनांक 31.05.2023 के सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 31.05.2023 में कहा गया है कि शेख हसन के मरने के बाद उनके वारिसान उपस्थित हुए तथा बयान तहरीरी दाखिल करने हेतु समयावेदन दिये जो श्रीमान के द्वारा स्वीकार किया गया। प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण अनपढ एवं गवार व्यक्ति है। जिन्हें कानून की जानकारी नही है तथा बयान तहरीरी दाखिल न करने के कारण दिनांक 22.07.2022 को प्रतिस्थापित प्रतिवादी को बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित कर दिया गया। प्रतिस्थापित प्रतिवादी द्वारा अपने पिता शेख हसन द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को ही अपने बयान तहरीरी के रूप में स्वीकार करने हेतु दिनांक 31.08.2022 को आवेदन दाखिल किये है। प्रतिस्थापित प्रतिवादी द्वारा जानबुझकर बयान तहरीरी दाखिल करने में विलंब नही किया गया है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि दिनांक 22.07.2022 के आदेश को वापस लेते हुये प्रतिस्थापित प्रतिवादी का बयान तहरीरी स्वीकार कर इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। अगर प्रतिस्थापित प्रतिवादी को इस वाद में संघर्ष करने की अनुमति नही दी जायेगी तो प्रतिवादी को अपूर्णीय क्षति होगी। इसके लिए प्रतिस्थापित प्रतिवादी श्रीमान् का सदा आभारी रहेगें। वादीगण की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिस्थापित प्रतिवादी दिनांक 24.02.2021 को न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–66/2018
CIS NO-TS-101/2019

शेख साजिर एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

शेख हसनैन के विधिक वारिसान .....प्रतिवादीगण

लगातार 11.10.2023	हुये तथा दिनांक 20.07.2022 को प्रतिस्थापित प्रतिवादी की ओर से बयान तहरीरी समय से दाखिल न करने के कारण बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः प्रतिस्थापित प्रतिवादी को अपना पक्ष प्रस्तुत कर वाद में संघर्ष करने का अवसर देना न्यायोचित प्रतीत होता है परंतु प्रतिस्थापित प्रतिवादी काफी समय के बाद बयान तहरीरी स्वीकृत करने हेतु आवेदन दिये है तथा प्रस्तुत वाद में संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में प्रतिस्थापित प्रतिवादी का आवेदन मो0–2500/– (दो हजार पाँच सौ) रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दिनांक 20.07.2022 के आदेश को वापस लेते हुए प्रतिस्थापित प्रतिवादी की ओर से दिये गये आवेदन को स्वीकार कर मृतक प्रतिवादी की बयान तहरीरी को ही उनकी ओर से ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 01.11.2023 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	